"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

क्रमांक-165/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010), जो दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

(1) मुख्यमंत्री को एक हजार एक सौ पच्चीस रुपये प्रतिदिन, मंत्री को एक हजार एक सौ रुपये प्रतिदिन, राज्यमंत्री को एक हजार नब्बे रुपये प्रतिदिन, उप मंत्री को एक हजार अस्सी रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को एक हजार पचहत्तर रुपये प्रतिदिन उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा.

(2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को आठ हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है.

अत: छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 19 मार्च, 2010

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 1, 2 एवं 3 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रुपये सैंतालीस लाख का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 3 एवं 4 (1) तथा 4 (2) के सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-3 प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा- 4 (1) मुख्यमंत्री को सात सौ तिरयासी रुपये प्रतिदिन, मंत्री को सात सौ सड़सठ रुपये प्रतिदिन, राज्यमंत्री को सात सौ पचास रुपये प्रतिदिन, उपमंत्री को सात सौ बयालीस रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को सात सौ तैंतीस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

धारा-4 (2) प्रत्येक मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव को पांच हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.